नम्बर 341, 342 किता 2 रकबा 3.64 हैक्ट. ग्राम बल्लमदासपुरा पटवार हल्का गांवडी तहसील नीमकाथाना की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित हिस्से के अनुसार पक्षकारान /खातेदारान के मध्य बंटवारा किये जाने हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया अनुसार जारी की जाती है:–

(1) यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवावें ।

(2) पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।

(3) यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं है, तो उपरोक्त वर्णित आराजियात का रेकार्ड एवं मौके के अनुसार पक्षकारान के बीच अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि का बंटवारा विधिवत "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें। विभाजन प्रस्ताव में खातेदारो को अपनी भूमियों में पहुँच हेतु रास्तो को भी ध्यान में रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावें। बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/ विविध/10546 दिनांक 5.10. 2020 में प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार **निर्धारित प्रपत्र** में तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावें।

उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली में तहरीर जारी होकर बइंतजार विभाजन प्रस्ताव के दिनांक 19.02.2024 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

विकास बिजारणिया बनाम गेन्द कंवर वगै0
वाद संख्या 47/2023

2/2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया । वकील वादी ने कथन है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दावा बटवारे का है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार जी नीमकाथाना द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से में पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें।

(हस्ताक्षर)
(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

वकील प्रतिवादी ने कथन किया विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है।

वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ. /2024/885 दिनांक 15.02.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार को अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक–पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलाय सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner